न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 46/2020

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 रजिस्टर्ड कार्यालय 19–ए, धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर 302001

—— प्रार्थी बैंक

बनाम

1. मुकेश कुमार भाउका पुत्र ब्रह्मानन्द, नि0 134, बनियों का मौहल्ला, गुहाला, तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

   Also At

   मुकेश कुमार भावुका भाउका, कॉमर्शियल प्रोप्टी एट ख0न0 2273, सॉप नं0 36, गणपति कॉम्प्लेक्स, वार्ड नं0 14, नियर टोडी, मुण्डा वाले बालाजी, उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं ।
2. ब्रह्मानन्द पुत्र सुवालाल
3. श्रीमती किरण देवी पत्नि ब्रह्मणनन्द
4. राकेश कुमार पुत्र ब्रह्मानन्द समस्त निवासीगण–134, बनियों का मौहल्ला, गुहाला, तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ0धारा 14 सिक्यूरिटाईजेशन एक्ट 2002

उपस्थितः–

1 एडवोकट श्री मनोज कुमार वर्मा (एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0) –......... प्रार्थी बैंक की ओर से

आदेश

दिनांक 19.11.2020

प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी/अप्रार्थीगण के पक्ष मे उनके आवेदन पर क्रेडिट सुविधा/वित्तीय सुविधा/टर्म लोन (बिजनेस/कंस्ट्रक्शन लोन) के पेटे रूपये **6.00 लाख** अंकेही छः लाख रूपये की ऋण सुविधा ऋण खाता संख्या L900106010643512(पुराना ऋण खाता संख्या LSSKR02716-170483691) दिनांक **05.10.2016** स्वीकृत की गई थी। इस हेतु ऋणी/जमानतदारों ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित किये थे। उक्त ऋण राशि प्रतिभूति करार के तहत निम्न प्रतिभूति आस्ति से रक्षित हैः– अचल सम्पत्तिः–Comm. प्रोपर्टी एट ख0न0 2273, सॉप नं0 36, गणपति कॉम्प्लेक्स, वार्ड नं0 14, नियर टोडी, मुण्डा वाले बालाजी, उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं नपती 8.17 Sq. Mtsअप्रार्थी मुकेश कुमार भाउका के मालिकाना हक की है एवं जिसकी चौहदी निम्न प्रकार से हैः–

पूर्व मे : शॉप नं0 35
श्चिम मे : प्लाट न0 37
मे : ऑवनर की खुद की जमीन
: रास्ता

के द्वारा समय पर ऋण एवं ब्याज को चुकाने मे चूक करने पर ऋणी के खाते को प्रार्थी

जिला कलक्टर झुन्झुनू

बैंक के द्वारा दिनांक **10.09.2019** को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन0पी0ए0) के रूप मे वर्गीकृत कर दिया गया था। प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक **25.11.2019** को मांग नोटिस वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम 2002 के तहत प्रेषित कर 60 दिवस के बकाया ऋण राशि 585656/– **अक्षरे पांच लाख पिच्यासी हजार छः सौ छप्पन रूपये** मय ब्याज व खर्चा **दिनांक** दिनांक **10.09.2019** से भुगतान करने की मांग की। श्रीमान् को उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रतिभूत आस्ति को अपने कब्जे या नियन्त्रण मे लेकर प्रतिभूति लेनदार (बैंक) को सुपुर्द करने का अधिकार प्राप्त है। सम्पत्ति का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करना अति आवश्यक है, जिससे उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है। उक्त गिरवीकृत सम्पत्ति पर आज दिनांक तक उक्त कार्यवाही करने के लिए किसी न्यायालय या अभिकरण द्वारा रोक नही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि गिरवीकृत सम्पत्ति को रहने वालों से खाली करवा के भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलवाया जाये जिससे अधिनियम के प्रावधानानुसार सम्पत्ति बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया।

हमने प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है।

पत्रावली में शमिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी एयु. स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी एयु. स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा The Securitistion and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई सम्पति (अचल सम्पत्ति :– Comm. प्रोपर्टी एट ख0न0 2273, सॉप नं0 36, गणपति कॉम्प्लेक्स, वार्ड नं0 14, नियर टोडी, मुण्डा वाले बालाजी, उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं नपती 8.17 Sq. Mtsअप्रार्थी मुकेश कुमार भाउका के मालिकाना हक की है एवं जिसकी चौहदी निम्न प्रकार से है:–पूर्व मे : शॉप नं0 35, पश्चिम मे : प्लाट न0 37,उत्तर मे : ऑवनर की खुद की जमीन तथा दक्षिण मे : रास्ता है।) का पजेशन प्रार्थी एयु. स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी एयु. स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक 19.11.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
झुंझुनू 19/11/2020

जिला कलक्टर झुन्झुनूं